प्रेषक,

आयुक्त स्टाम्प एवं महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर–प्रदेश शिविर लखनऊ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

कानपुर विकास प्राधिकरण।

कानपुर।

दिनांक : 09.08.2002

विषय : संविदा के आधार पर होने वाले कार्यों हेतु आवश्यक स्टाम्प शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 1808/लेखा/का.वि.प्रा./2001–02 दिनांक 27.03.2002 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा रिट पिटीशन संख्या 10209/2002 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2002 का उल्लेख किया गया है। इस आदेश में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के शेडयूल–1–बी के आर्टिकल 57 के तहत स्टाम्प शुल्क लेने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश में उक्त निर्णय को उद्धरित करते हुए यह कहा गया है कि प्राधिकरण में होने वाले कार्यों की संविदा हेतु केवल 100 रुपये के स्टाम्प ही लिये जायेंगे।

इस प्रकरण पर दिनांक 04.08.2002 को प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर–प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कानपुर में आहूत बैठक में विचार–विमर्श हुआ जिसमें विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जिलाधिकारी आदि उपस्थित थे। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण कानपुर को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी प्रकरण पर आदेश करने का अधिकार नहीं है। अतः उक्त आदेश अवैधानिक है। सम्बन्धित प्रकरण को कलेक्टर स्टाम्प को संदर्भित किया जाना चाहिए था जिनके स्तर पर स्टाम्प शुल्क अवधारण की अधिकारिता है।

इस सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा–6 भी दृष्टव्य है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट शेडयूल 1–ए, या 1–बी0 के कई आर्टिकल से आच्छादित है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम दर वाले आर्टिकल के प्राविधान ही लागू होंगे।

ए0आई0आ0 1978 इलाहाबाद पृष्ठ 443 स्पेशल बेंच द्वारा मेसर्स रामचन्द्र शुगर मिल्स बनाम, उत्तर–प्रदेश सरकार में यह अवधारित किया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (पअ) में मार्गेज डीड परिभाषित किया गया है और जो मार्गेज डीड उक्त परिभाषा से आच्छादित है उन पर शेडयूल 1 बी का आर्टिकल 40 लागु होगा।

The deed in question, therefore, in our opinion, will fall within the definition of mortgage-deed contained in S2(17) of the Stamp Act; and as it is nobody's case that the possession of the properly has been transferred, cl (b) of Art, 40 of Sch. 1-B shall be applicable.

जहाँ तक रिट सं0 10209/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2002 का प्रश्न है वह अन्य मामलों में नजीर नहीं बन सकता।

उपर्युक्त के आधार पर अनुरोध है कि ऊपर वर्णित अपने आदेश को वापस लेने का कष्ट करें और नियमानुसार कार्यों के संविदा पर स्टाम्प शुल्क लेने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रभास कुमार झा

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प

उत्तर–प्रदेश, शिविर–लखनऊ।

संख्याः 117(1–2) / शि0का0लख0 / 2002

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभारी सचिव, शुक्लागंज उन्नाव विकास प्राधिकरण उन्नाव।

2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

(प्रभास कुमार झा)

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प।

उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।